नेशनल लोक अदालत, जिला न्यायालय, कटनी (म.प्र.)
खण्डपीठ :—पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ क्रमांक—05 कटनी (म.प्र.)

खण्डपीठ
क्रमांक—05

Registration No. 619/2022
Filing No. - 1296/2022
CNR No. MP 2101-007244-2022
Filing Date 06-07-2022

01. संदीप भूमिया(आदिवासी) पिता सुग्रीव भूमिया, उम्र—28 वर्ष, निवासी—ग्राम देवराकलां, थाना विजयराघवगढ़, जिला कटनी म0प्र0

::— विरूद्ध —::

01. सत्यम जाटव पिता श्री किशनलाल जाटव, उम्र—लग. 24 वर्ष, निवासी शारदा मंदिर के पास, राम निवास सिंह वार्ड, कटनी, थाना रंगनाथ नगर, तहसील मुड़वारा, जिला कटनी म0प्र0।
(**वाहन चालक**)

02. संजीव कुमार निगम पिता स्व0 श्री सीताराम निगम, उम्र—48 वर्ष, निवासी—डॉ0 तारे क्लीनिक के पास, राजीव गांधी वार्ड, थाना कोतवाली, तहसील मुड़वारा, जिला—कटनी(म0प्र0)
(**वाहन मालिक**)

03. इफको टोकियो जनरल जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, द्वारा—शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय शिवहरे काम्पलेक्स, द्वितीय तल बैंक ऑफ इण्डिया के उपर माधव नगर गेट के पास, थाना माधवनगर कटनी म0प्र0।
(**बीमा कंपनी**)

::—अवार्ड—::
(आज दिनांक **09 सितंबर 2023** को पारित किया गया)

01— यह क्लेम वाहन दुर्घटना में आई चोटों के संबंध में प्रतिकर के लिये धारा—166 मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत प्रस्तुत किया है।

02— नेशनल लोक अदालत में आवेदक की ओर से उसके अधिवक्ता श्री आर0के0 मिश्रा और अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कम्पनी की ओर से उसके अधिवक्ता श्री रामअवतार सिंगरौल ने एक समझौता पेश किया। दोनों पक्षों को सुना गया। समझौता स्वतंत्र और स्वैच्छिक प्रतीत होता है, अतः समझौता प्रमाणित किया जाता है और समझौते के आधार पर आवेदक के पक्ष में और अनावेदक बीमा कम्पनी के विरूद्ध निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता है :—

(1)– अनावेदक बीमा कम्पनी आवेदक को 3,10,000/–रूपये (तीन लाख दस हजार रूपये मात्र) प्रतिकर अदा करेगी।

(2)– अनावेदक बीमा कम्पनी आज से दो माह के भीतर उक्त राशि जमा करेगी, अन्यथा अवार्ड दिनांक से उक्त राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित राशि अदा करेगी।

(3)– अनावेदक क्रमांक–1 एवं 2 के विरूद्ध क्लेम खारिज किया जाता है।

(4)– आवेदक द्वारा ईलाज में 1,00,000/–रूपये व्यय होना बताया है, उसे दुर्घटना में सिर, सीने, कमर, दायें एवं बायें हाथ, दाहिने पैर व शरीर के अन्य हिस्सों में में गंभीर प्रकृति की चोंटे कारित होना एवं एक्सरे कराए जाने पर दायें हाथ, बायें हाथ एवं दाहिने पैर में अस्थिभंग होना बताया गया है, निश्चित रूप से ईलाज हेतु उसे भर्ती रहना पडा होना और आवागमन, विशेष आहार, अटेंडर आदि का व्यय भी करना पडा होगा। अतः लोक अदालत में राजीनामा एवं उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए तथा आवेदक की आयु को विचार में लेने के पश्चात आवेदक को 3,10,000/–रूपये में से 2,10,000/–रूपये (दो लाख दस हजार रूपये मात्र) की राशि जमा होने पर बचत खाते के माध्यम से नगद प्रदान की जावे एवं शेष राशि 50,000/–(पचास हजार रूपये मात्र) 6 माह के लिये एवं 50,000/–(पचास हजार रूपये मात्र) 12 माह के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में जमा की जायें। उक्त राशि RTGS/NEFT के माध्यम से उपरोक्त शर्तो के अध्यधीन आवेदक के बैंक के बचत खाते में सीधे जमा करके इस अधिकरण को सूचित करें अथवा इस अधिकरण के खाता क्रमांक 745402010010481 में जमा करायें।

(5)– राजीनामा की स्थिति को देखते हुए उभयपक्ष अपना–अपना वाद खर्च स्वयं वहन करेंगें।

(6)– यह अवार्ड धारा 21 विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1989 (क्रमांक 39/1987) के अनुसार डिक्री का स्थान रखेगा।

सही/–

श्री विनय नारायण दाहिया
(अधिवक्ता/सदस्य)

इरशाद अहमद
(पीठासीन अधिकारी)
खण्डपीठ क्रं.–05

IRSHAD AHAMD

Digitally signed by IRSHAD AHAMD
Date: 2023.09.09 18:03:03 +0530